Teachingninja.in

Latest Govt Job updates

Private Job updates

Free Mock tests available

Visit - teachingninja.in

Rajasthan High Court

Previous Year Paper

Translator (Hindi To English) 2020

Teachingninja.in

Written Test For The Post of Translator-2020

प्रश्न पत्र – II

(हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद)

समय : दो घंटे पूर्णांक : 100 अंक

नोट :– तीनों प्रश्न करने अनिवार्य हैं।

प्रश्न सं. 1. निम्न का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। (अंक 40)

वादी व प्रतिवादी की साक्ष्य का विवेचन इस प्रकार है कि वादी के कथनों से और प्रतिवादी की साक्ष्य से भी यह तो प्रकट ही है कि वादी के दो लड़के हैं। वादी का यह कहना है कि उसका बेटा रहीम जब से उसने पढ़ाई छोड़ी है, बेकार है और जिस दुकान पर वह अभी कार्य करता है वह सिर्फ एक कोठरी है जिसमें कि वह स्वयं कार्य करता है और उसके लड़के के लिये उसको वादग्रस्त दुकान की आवश्यकता है, क्योंकि कोठरी वाली दुकान छोटी है और उसमें दो जने नहीं बैठ सकते हैं। अपने बेटे रूस्तम के लिये कहा है कि वह अलग ही धंधा करता है। इस संदर्भ में प्रतिवादी की साक्ष्य से तो यह जाहिर ही है कि वह स्वयं किसी कमरूदीन नामक व्यक्ति की दुकान पर व्यवसाय करता है और जो दुकान वादी के स्वामित्व की उसके पास है उस पर तो उसका पिता बैठता है और वही कार्य देखता है। अतः जैसा कि दस्तावेज से जाहिर है कि प्रतिवादी ने वादग्रस्त दुकान वादी से स्वयं के व्यवसाय के लिये ली थी लेकिन अब वह स्वयं तो व्यवसाय किसी अन्य दुकान पर कर रहा है और इस दुकान पर उसका पिता व्यवसाय कर रहा है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादी चूंकि अन्यत्र व्यवसाय में संलग्न है, अतः उसको इस वादग्रस्त दुकान की कोई आवश्यकता नहीं है। जबकि वादी का लड़का बड़ा है और पढ़ाई लिखाई छोड़कर बेकार बैठा हुआ है इसलिये उसको अपने लड़के के व्यवसाय के लिये इस वादग्रस्त दुकान की युक्तियुक्त आवश्यकता सही प्रतीत होती है क्योंकि वह उस दुकान में बैठकर अपना व्यवसाय शुरू करेगा। अगर प्रतिवादी स्वयं को इस दुकान की इतनी अधिक आवश्यकता होती तो वह स्वयं ही इस दुकान पर व्यवसाय कर सकता था। 40 से अधिक वर्षों से ही वह मौजूदा दुकान पर कार्य कर रहा था तो उससे उसकी आवश्यकता पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है क्योंकि अपने बेटे के लिये तो उसको अन्य दुकान की आवश्यकता है। प्रतिवादी के विद्धान अधिवक्ता का भी यही कहना है कि पूर्व में भी वादी ने यह दुकान अमीरूदीन नामक व्यक्ति को किराये पर दे रखी थी और उससे भी स्वयं की आवश्यकता बताकर खाली कराई थी। यदि उसको जरूरत होती तो वह उस समय ही इस दुकान पर कार्य कर सकता था। यह तर्क इसलिये मानने योग्य नहीं है क्योंकि वादी ने अपनी साक्ष्य में यह प्रकट किया है कि जिस समय वादग्रस्त दुकान खाली कराई गई थी उसके बाद उसको लकवा हो गया था और इसलिये वह उस दुकान में व्यवसाय नहीं कर सका था।

प्रश्न सं. 2. निम्न का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। (अंक 30)

भारत में विधि के प्रति समाजशास्त्रीय एवं क्रियात्मक दृष्टिकोण अपनाये जाने के प्रमाण अनेक विधियों में स्पष्टतः दिखाई देते हैं। भारतीय स्वतंत्रता के पश्चात् भारत की विधि व्यवस्था को सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने के लिये निरन्तर प्रयास किये गये एवं आज भी किये जा रहे हैं। भारत के संविधान में गत 50 वर्षों में हुए संशोधनों से इस कथन की पुष्टि हो जाती है। भारतीय संविधान में उल्लेखित कल्याणकारी राज्य की कल्पना को साकार रूप देने के प्रयत्न स्वरूप अनेक सामाजिक, आर्थिक तथा मानवीय विधान लागू किये गये जो गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा या भेदभाव, छुआछूत आदि को समाप्त कर समाजवाद को स्थापित कर सके। संविधान में दिये गये नीति–निदेशक सिद्धांत इस दिशा में मार्गदर्शक सिद्ध हुए हैं। बैंक राष्ट्रीयकरण, प्रीवी पर्स की समाप्ति, शहरी सम्पत्ति की सीमा पर रोक आदि आर्थिक समानता की ओर इंगित करते हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रजातंत्र के रक्षण में

Teachingninja.in

विशेष सहायक सिद्ध हुई है। वर्तमान में गरीबों के लिये मुफ्त कानूनी सहायता तथा बंधुआ मजदूरी को समाप्त करने संबंधी कानून भी इस बात के परिचायक हैं कि भारतीय विधि के अंतर्गत सामाजिक आवश्यकता को सर्वाधिक महत्त्व दिया जा रहा है ताकि उसकी उपादेयता बढ़ सके। लोक–हित संबंधी वाद इस दिशा में एक सराहनीय कदम है जिसके अंतर्गत सुने जाने के अधिकार को अधिक व्यापक रूप दिया गया है। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1993 पारित हो जाने के फलस्वरूप उपभोक्ता को घटिया सेवा, मिलावट, धोखाधड़ी, मुनाफाखोरी आदि से राहत दिलाने का प्रयास किया गया है। महिलाओं के सामाजिक स्तर को सुधारने तथा पुरूष वर्ग के शोषण से बचाने के लिये आपराधिक दण्ड विधि में संशोधन किये गये। सन् 1990 में एक राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन भी किया गया। ग्राम पंचायत अधिनियम, 1993 में महिलाओं के लिये 30 प्रतिशत स्थान आरक्षित हैं। पिछड़े वर्ग, जनजाति आदि के लोगों को समुचित अवसर उपलब्ध कराने के बारे में अनेक कानून बनाये गये हैं।

प्रश्न सं. 3. निम्न का अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। (अंक 30)

योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी का कथन रहा है कि वादग्रस्त भूमि पर अपीलार्थी का कब्जा है एवं पुराने कब्जे को ध्यान में रखकर पट्टा जारी किया गया था। पट्टे के संदर्भ में अपीलार्थी–वादी को जो अधिकार प्राप्त है, उसे नजरअंदाज करते हुए दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निर्णय पारित किया गया है। अतः इस द्वितीय अपील में प्रस्तावित सारवान प्रश्न विरचित किया जाकर अपील को विचारार्थ ग्रहण किया जाये।

द्वितीय अपील में उठाये गये बिन्दुओं एवं मौखिक रूप से प्रस्तुत तर्कों की रोशनी में प्रकरण में उपलब्ध अभिवचनात्मक स्थिति, विवाधकों के संदर्भ में प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के विश्लेषण के आधार पर अधीनस्थ विचारण न्यायालय एवं प्रथम अपीलीय न्यायालय के निष्कर्ष एवं निर्णय पर ध्यान केन्द्रित किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि सम्बन्धित पट्टे को अतिरिक्त जिला कलेक्टर द्वारा निरस्त किया जा चुका था एवं इस तथ्य का अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में उल्लेख करते हुए विवेचन भी किया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी के पास संबंधित भू–भाग पर बने रहने का कोई अधिकार नहीं रहता है। अतः इस न्यायालय की राय में आपेक्षित निर्णय में ऐसी कोई साक्ष्य समाहित नहीं है, जो असंगत व अग्राह्य हो अथवा तथ्यात्मक स्थिति की अनुपलब्धता के आधार पर निर्णय पारित किया गया हो। साक्ष्य का विश्लेषण व विवेचन करने में दोनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा किसी प्रकार की चूक नहीं की गई है तथा न ही अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाला गया निष्कर्ष तथ्यों के विपरीत है।

जहां तक वर्तमान मामले में कानूनी सारभूत प्रश्न बाबत उठाये गये तर्कों का प्रश्न है, दोनों अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय में न तो क्षेत्राधिकार के तत्व का अभाव पाया जाता है और न ही विधि का सारवान प्रश्न निहित होना पाया जाता है। अतः सारभूत कानूनी प्रश्न के अभाव में भी यह द्वितीय अपील ग्रहण करने योग्य नहीं है।

परिणामतः अपीलार्थी–वादी की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय दीवानी अपील ग्रहण करने के प्रक्रम पर ही खारिज की जाती है।

****

Teachingninja.in